International Environmental
Law Research Centre

Madhya Pradesh Sand Mining Policy, 2015

This document is available at ielrc.org/content/e1544.pdf

Note: This document is put online by the International Environmental Law Research Centre (IELRC) for information purposes. This document is not an official version of the text and as such is only provided as a source of information for interested readers. IELRC makes no claim as to the accuracy of the text reproduced which should under no circumstances be deemed to constitute the official version of the document.

मध्यप्रदेश शासन

खनिज साधन विभाग

रेत खनन नीति 2015
मध्यप्रदेश

भोपाल
शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय
2015

रेत खनन नीति, 2015

प्रस्तावना

प्रदेश में गौण खनिज रेत का उत्पादन मुख्यतः नर्मदा, तवा, सिंध, चम्बल, बेतवा, छोटी महानदी, सोन, सुनार आदि नदियों से किया जाता है। रेत खनिज का उपयोग मुख्यतः निर्माण कार्यों में होता है। विगत कई वर्षों से यह आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि रेत खनिज की आपूर्ति जन सामान्य को तर्क संगत मूल्यों पर हो सके। इस संबंध में यह विचार में लिया गया कि प्रदेश में अधिक से अधिक रेत खदानों का चिन्हांकन/संचालन हो, जिससे रेत खनिज की आपूर्ति सुगमता से हो सके। रेत खनिज के संबंध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कई प्रतिबंधात्मक प्रावधान किये गये हैं। इन प्रावधानों का पालन पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से आवश्यक है। इन समस्त तथ्यों को विचार में लेते हुए रेत खनन नीति प्रस्तुत की जा रही है।

वर्तमान परिदृश्य

प्रदेश में रेत खनिज के नियमन हेतु मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 प्रभावशील है। इस नियम के प्रावधान के तहत् प्रदेश के 33 जिलों में आम नीलामी के माध्यम से 5 वर्ष की अवधि हेतु कलेक्टर द्वारा खदानें नीलाम की जाती हैं। प्रदेश के 18 जिलों ग्वालियर, भिण्ड, दतिया, देवास, हरदा, होशंगाबाद, सीहोर, रायसेन, टीकमगढ़, जबलपुर, नरसिंहपुर, खरगौन, धार, बड़वानी, खण्डवा, कटनी, सतना तथा उमरिया में मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा रेत खनिज की खदानें संचालित की जा रही हैं। मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम के पक्ष में राज्य शासन द्वारा इन रेत खनिज की खदानों का उत्खनिपट्टा स्वीकृत किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा उनके पक्ष में स्वीकृत रेत खदानों का तहसील स्तर पर ग्रुप बनाया गया है। इन ग्रुप का आवंटन 2

वर्ष की अवधि हेतु टेण्डर प्रक्रिया के माध्यम से किया जाकर रेत विक्रय के ठेके दिये जाते हैं।

प्रदेश को विगत 5 वर्षों में रेत खनिज से प्राप्त राजस्व (खनिज निगम की अतिरिक्त समतुल्य रायल्टी सहित) की जानकारी **प्रपत्र–1** में दर्शित की गई है। कलेक्टर के माध्यम से नीलाम किये जाने वाली रेत खदानों की जिलेवार जानकारी **प्रपत्र–2** में दर्शित है। मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा संचालित खदानों की जिलेवार जानकारी **प्रपत्र–3** में दर्शित है।

<u>प्रस्तावित रेत खनन नीति</u>

1. रेत खदानों की वर्तमान नीलाम प्रक्रिया ई–ऑक्शन/ई–टेण्डरिंग के माध्यम से किया जायेगा। ई–ऑक्शन/ई–टेण्डरिंग के लिए एक निर्धारित तिथि तथा समय जिले वार नियत की जायेगी।

2. मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम वर्तमान में 18 जिलों की 53 तहसीलों पर रेत खदान का संचालन कर रहा है। अब 18 जिलों की समस्त तहसीलों में मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम के पक्ष में रेत खदान संचालन हेतु आरक्षित की जायेंगी।

3. मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम की रेत खदानों से 10 किलोमीटर की परिधि में कोई अन्य रेत खदान, उत्खनन अनुज्ञा, व्यापारिक खदान स्वीकृत नहीं किये जाने के वर्तमान प्रावधान को समाप्त किया जायेगा।

4. मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा दी जा रही रायल्टी के समतुल्य राशि के प्रावधान को समाप्त किया जायेगा।

5 (i) जिला कलेक्टर व्दारा 33 जिलों में किए जाने वाले ई:आक्शन/ई–टेण्डरिंग की अपसेट दर 125/– रू. (रायल्टी रू. 100/– एवं रू. 25/– संचालन व्यय) को आधार मानते हुए प्रति घन मीटर होगी जिसे अनुमोदित माइनिंग प्लान अथवा वास्तविक उपलब्ध रेत की मात्रा (अधिकतम अनुमत सीमा तक) से गुणा करने पर जो राशि आयेगी उसको आधार मूल्य मानते हुए ऑफर आमंत्रित करने पर प्राप्त अधिकतम बोली स्वीकृत की जाएगी। इसके अतिरिक्त वेट एवं शासन व्दारा यदि कोई कर/उपकर लगाया जाता है अथवा वृद्धि की जाती है तो वह राशि ठेकेदार द्वारा पृथक से भुगतान की जाएगी तथा ठेकेदार उक्त राशि अपने बिक्री मूल्य में सम्मिलित कर सकेगा।

मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम के प्रकरणों में 18 जिलों में निगम की रेत खदानों के ठेके हेतु ई–टेण्डरिंग हेतु अपसेट दर रू. 125/– प्रति घन मीटर (जिसमें रू0 100/– शासन की रायल्टी दर रू0 25/– निगम का संचालन व्यय) होगी जिसे माइनिंग प्लान अथवा वास्तविक उपलब्ध रेत की मात्रा (अधिकतम अनुमत सीमा तक) से गुणा करने पर जो राशि आयेगी उसको आधार मूल्य मानते हुए ऑफर आमंत्रित करने पर प्राप्त अधिकतम ऑफर स्वीकृत किया जावेगा। खनिज निगम के प्रकरणों में वेट एवं शासन द्वारा अधिरोपित कर/उपकर निगम को अग्रिम में भुगतान किया जाएगा जिसे वास्तविक उठायी गयी रेत की मात्रा के अनुसार प्रत्येक त्रैमास में समायोजित किया जायेगा।

(ii) वर्तमान में रेत खनिज की खनन संक्रिया हेतु यह प्रावधान है कि सतह से 3 मीटर तक अथवा जल स्तर तक जो भी कम हो, रेत खनिज का उत्खनन किया जा सकता है। ऐसा उत्खनन नदी/नाले के पानी के भीतर नहीं किया जायेगा।

रेत खनिज का खनन अनुमोदित खनन योजना के अनुरूप किया जायेगा। खनन योजना में दर्शित खनन योग्य मात्रा से अधिक मात्रा यदि स्वीकृत क्षेत्र में उपलब्ध हो तो खनन योजना का पुनरीक्षण किया जा सकेगा। ऐसी स्थिति में पुनरीक्षित मात्रा के अनुरूप वार्षिक ठेका धन का पुनरीक्षण किया जा सकेगा। पुनरीक्षित मात्रा के अनुरूप पुनः पर्यावरण अनुमति प्राप्त किये जाने का दायित्व संबंधित ठेकेदार का होगा। अनुमोदित खनन योजना में दर्शित खनिज मात्रा अनिवार्यतः ठेकेदार द्वारा ठेका अवधि के दौरान निकाली जायेगी। अन्यथा की स्थिति में ठेका शर्तों का उल्लंघन माना जाकर सुरक्षा राशि राजसात की जा सकेगी।

अनुमोदित खनन योजना में दर्शित वार्षिक खनन योग्य मात्रा से यदि 20 प्रतिशत कम मात्रा का खनन किसी वर्ष में किया जाता है तब सम्पूर्ण वार्षिक ठेका धन जमा होने की स्थिति में इस 20 प्रतिशत तक की मात्रा को आगामी वर्ष में उठाये जाने की अनुमति होगी। ठेकेदार द्वारा ऐसी बढ़ी हुई मात्रा पर उस वित्तीय वर्ष में लागू वार्षिक ठेका धन के अनुसार अंतर की राशि देना होगी। ऐसी स्थिति में यदि पर्यावरण की अनुमति आवश्यक होगी तब उसे प्राप्त करने का दायित्व संबंधित ठेकेदार का होगा।

(iii) **ई–ऑक्शन**/ई–टेण्डरिंग की प्रक्रिया में भाग लेने वाले प्रतिभागी को अपसेट मूल्य के 10 (दस) प्रतिशत की अमानत राशि का अग्रिम भुगतान ई–पेमेंट (आर.टी.जी.एस) आदि के माध्यम से करना होगा। सफलतम बोलीदार/निविदाकार को LOI जारी होने के 15 दिवस के अंदर स्वीकृत वार्षिक ठेका धन राशि का 25 प्रतिशत सुरक्षा राशि जमा करके अनुबंध निष्पादित करना होगा। बोलीदार/निविदाकार द्वारा जमा अमानत की राशि सुरक्षा राशि में समायोजित की जावेगी। जहां पर माईनिंग प्लान/पर्यावरण अनुमति ऑफर आमंत्रित करते समय स्वीकृत नहीं है वहां सफलतम बोलीदार को LOI जारी करने की दिनांक से 3 माह के अंदर माईनिंग प्लान अनुमोदन एवं पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त कर अनुबंध निष्पादित करना होगा। तदुपरांत उसे खदान/ग्रुप का कब्जा प्रदान कर कार्य अनुमति दी जावेगी। विशेष परिस्थितियों में निगम के प्रकरणों में खनिज निगम के प्रबंध संचालक तथा जिला कलेक्टर द्वारा निष्पादित की जाने वाले प्रकरणों में संबंधित जिले के कलेक्टर को औचित्यपूर्ण इस समयावधि में युक्तियुक्त वृद्धि करने का अधिकार होगा।

स्वीकृत वार्षिक ठेका धन में प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी। अर्थात यदि कोई रेत खदान 1 लाख रूपये वार्षिक आधार पर स्वीकृत की जाती है तब द्वितीय वर्ष में वार्षिक ठेका धन रूपये 1,05,000/–, तृतीय वर्ष में 1,10,000/–, चतुर्थ वर्ष में 1,15,000/– तथा पंचम वर्ष में 1,20,000/– क्रमशः मान्य होगा।

(iv) सफल बोलीदार को छोड़कर शेष प्रतिभागियों की राशि इसी प्रक्रिया के अधीन वापसी योग्य होगी।

(v) सफल बोलीदार को वार्षिक ठेकाधन का अग्रिम भुगतान वर्तमान में प्रचलित नियम/प्रक्रियानुसार किश्तों में ई–पेमेंट/पोस्ट डेटेट चैक के माध्यम से करना होगा।

6. कलेक्टर्स व्दारा ई–ऑक्शन/ई–टेण्डर की जाने वाली खदानों हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के प्रावधान के अनुरूप आवश्यक पर्यावरण अनुमति प्राप्त करने का दायित्व सफल बोलीदार का होगा। निगम की रेत खदानों के माइनिंग प्लान का अनुमोदन एवं पर्यावरण स्वीकृति (जहां आवश्यक हो) शासन स्तर से प्राप्त करने की कार्यवाही संबंधित उप कार्यालय के प्रभारी अधिकारी द्वारा ठेकेदार के सहयोग से की जावे। तथा इसमें जो भी व्यय होगा उसका वहन संबंधित ठेकेदार द्वारा किया जाएगा।

यदि सिया द्वारा किन्हीं तकनीकी कारणों के आधार पर पर्यावरण अनुमति प्रदान नहीं की जाती है तब ठेकेदार द्वारा जमा की गई सुरक्षा राशि को ठेकेदार को वापस कर दिया जायेगा।

7. सफल बोलीदार/निविदाकार द्वारा अनुमोदित खनन योजना प्रस्तुत करने तथा समस्त आवश्यक अनुमतियां यथा वन संरक्षण अधिनियम, 1980, भू–अर्जन अधिनियम अथवा अन्य संगत अधिनियम/नियम की कार्यवाही पूर्ण कराने का दायित्व संबंधित सफल बोलीदार का होगा, इसके पश्चात् रेत खदान का संचालन किया जायेगा। परन्तु आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करने की कार्यवाही सफल बोलीदार द्वारा स्वीकृति मान्य की सूचना से अधिकतम दो सप्ताह के अंदर प्रारंभ की जावेगी एवं इसकी समय–समय पर सूचना स्वीकृति प्राधिकारी को दी जायेगी। ठेका अवधि 5 वर्ष अथवा ठेका स्वीकृति से 5 वें वित्तीय वर्ष की समाप्ति, जो भी पूर्व हो, तक रहेगी।

8. प्रदेश में अधिक से अधिक संभावित रेत उत्खनन स्थल चिन्हित किये जायेंगे।

9. ग्रामीण जनों को स्वयं के निर्माण कार्य में रेत खनिज की उपलब्धता निकटस्थ संचालित खदान क्षेत्र से निशुल्क की जायेगी। इस प्रकार की आवश्यकता सुनिश्चित किये जाने का दायित्व संबंधित ग्राम पंचायत का होगा।

10. प्रदेश में पूर्व से निर्मित बांध, तालाब, बैराज, स्टाप डैम, वियर, ऐनीकट एवं नहरों में संग्रहित रेत/सिल्ट के निवर्तन की कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं है। बांध, तालाब, बैराज, स्टाप डैम, वियर, ऐनीकट एवं नहरों से रेत/ सिल्ट निकाला जाना इस संरचना की पूर्ण क्षमता के उपयोग हेतु आवश्यक है। इस प्रकार के प्रकरणों में संबंधित विभाग सुसंगत औपचारिक अनुमतियां प्राप्त कर अपने ठेकेदारों के माध्यम से रेत को पानी से बाहर निकलवाकर, किसी सुरक्षित स्थान पर स्टॉक करायेगा तथा आवश्यक होने पर उस रेत का उपयोग अपने विभागीय कार्य हेतु अथवा अन्य शासकीय विभाग के प्रोजेक्ट हेतु कर सकेगा। संबंधित विभाग आमंत्रित की जाने वाली संविदाओं में (जिसमें EPC एवं PPP परियोजनाओं भी सम्मिलित है) बिन्दु क्रमांक 5(i) में निर्धारित दर पर राशि का भुगतान खनिज साधन विभाग को किये जाने की शर्त का समावेश करेगा।

यदि किसी कारणवश उक्त संग्रहित रेत का उपयोग संबंधित विभाग नहीं कर पाता है तो संबंधित विभाग उक्त रेत को कलेक्टर के माध्यम से खनिज विभाग/खनिज निगम को सौंपते हुए, ई-ऑक्शन के माध्यम से निगम में प्रचलित प्रक्रिया अनुसार निवर्तन का अनुरोध कर सकेगा।

11. ठेकेदार द्वारा स्वयं के व्यय पर खदान स्थल पर सूचना पटल लगाया जावेगा। सूचना पटल पर विभिन्न जानकारियां यथा–खदान का नाम, खसरा क्रमांक, रकबा, ठेका अवधि, ठेकेदार का नाम, पता तथा मोबाइल नंबर, विक्रय दर, प्रदर्शित करना होगा। यह जानकारी विभागीय वेब पोर्टल पर भी प्रदर्शित की जायेगी।

12. ठेकेदार व्दारा रेत खदानों का नियमानुसार सीमांकन कराया जावेगा तथा स्थापित बाउण्ड्री पिलर को जिला खनिज कार्यालय से जी.पी.एस. से अक्षांश/देशांश दर्ज कराकर अभिलेखों में रखा जावे।

13. ठेकेदार द्वारा ठेका अनुबंध पत्र भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अध्ययधीन निष्पादित किया जावेगा, तथा समस्त व्यय उसके द्वारा वहन किया जावेगा।

14. रेत खनन नीति के मूल उद्देश्यों को परिवर्तित किये बिना अन्य व्यवहारिक कठिनाईयों को प्रशासकीय विभाग, वित्त विभाग की सहमति से दूर कर सकेगा।

प्रपत्र–1

मध्यप्रदेश में रेत से राजस्व प्राप्ति

(राशि करोड़ रूपयों में)

क्र.	वर्ष	रेत रायल्टी की राशि	निगम द्वारा जमा रेत रायल्टी की समतुल्य राशि	कुल प्राप्त राशि
1	2010–2011	102.95	21.37	124.32
2	2011–2012	126.34	9.84	136.18
3	2012–2013	128.94	55.99	184.93
4	2013–2014	102.43	76.98	179.41
5	2014–2015 (माह नवम्बर 14 तक)	58.00	49.53	107.53

प्रपत्र–2

कलेक्टर द्वारा रेत ठेके हेतु खदानों की प्रस्तावित संख्या

क्रमांक	जिला	*संख्या	रकबा (हिक्टेयर)
1	छिन्दवाड़ा	9	73.560
2	बालाघाट	7	62.996
3	सिवनी	4	21.000
4	मण्डला	9	51.900
5	सागर	11	58.000
6	दमोह	40	203.530
7	पन्ना	25	168.250
8	छतरपुर	15	191.700
9	रीवा	1	12.025
10	सीधी	6	71.500
11	सिंगरौली	17	98.500
12	शहडोल	11	62.177
13	अनूपपुर	28	175.938
14	डिण्डौरी	0	0
15	भोपाल	9	45.000
16	राजगढ़	51	675.873
17	विदिशा	3	16.414
18	बैतूल	12	108.66

क्रमांक	जिला	*संख्या	रकबा (हिक्टेयर)
19	इन्दौर	16	37.100
20	बुरहानपुर	7	41.610
21	झाबुआ	27	154.000
22	अलिराजपुर	35	269.700
23	उज्जैन	54	437.769
24	मन्दसौर	30	293.264
25	नीमच	20	214.401
26	रतलाम	46	364.300
27	शाजापुर	50	330.000
28	गुना	2	11.000
29	अशोकनगर	14	90.921
30	शिवपुरी	12	83.230
31	मुरैना	0	00
32	श्योपुर	1	5.000
33	आगर मालवा	14	108.000
	योग	**586**	**4537.318**

*प्रावधिक

प्रपत्र–3

मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा ठेके हेतु प्रस्तावित खदानों की संख्या

क्रमांक	उप कार्यालय का नाम	जिला	स्वीकृत खदानों की संख्या	रकबा (हेक्टेयर)
1	होशंगाबाद	होशंगाबाद, सीहोर एवं रायसेन	68	1252.496
2	ग्वालियर	ग्वालियर, दतिया एवं भिण्ड	73	1496.575
3	हरदा	हरदा एवं देवास	47	332.99
4	धामनोद	धार, खरगोन, बड़वानी, खण्डवा	68	551.652
5	जबलपुर	जबलपुर एवं नरसिंहपुर	93	427.572
6	कटनी	कटनी, उमरिया एवं सतना	18	80.202
7	टीकमगढ़	टीकमगढ़	82	204.401
कुल	**7**	**18**	**449**	**4317.888**

शाकेमुभो—31—संभौतखमप्रभो—27-4-15-2,000.